उ0 प्र0 राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था

U. P. State Organic Certification Agency

Government Garden Campus, Cariyappa Marg, Alambagh, Lucknow ï 226005

Contacts ï 0522-2451256 Fax No.-0522-245163 / +91-7991202027

Email id: - upsoca.org@gmail.com / Website: - upsoca.org

ykblsUlh rFkk tSfod izek.khdj.k laLFkk ds e/; vuqcU/k

इस अनुबन्ध का उद्वेश्य लाइसेन्सी तथा उ0प्र0 राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था के मध्य स्थापित व्यवस्था से है, जिसके अर्न्तगत – जैविक उत्पादों के मानकों के अनुरुप उत्पादित किये जाने वाले उत्पादों के संदर्भ में लाइसेन्स तथा उत्पाद प्रमाणपत्र संस्था द्वारा जारी किया जा सक । इन दस्तावेजों का आशय जैविक उपभोक्ताओं अथवा जैविक उत्पाद खरीदने वाले को गारन्टी देना है कि संदर्भित उत्पादों का उत्पादन वास्तविक तौर पर जैविक कृषि विधियों एवं मानकों के अनुरूप जोकि वर्तमान में लागू हैं, किया गया है ।

उ0प्र0 राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था द्वारा जारी लाइसेन्स तथा उत्पाद प्रमाण पत्र उन स्थानों एवं उत्पादों के संदर्भ में है , जिनके लिये आवेदक द्वारा उ0प्र0 राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था को आवेदन किया गया है , तथा ऐसे उत्पादों की अनुमानित मात्रा का विवरण जैविक प्रमाणीकरण संस्था द्वारा दिया गया है।

;g vuqcU/k vkt fnukad--------------------------------dks m0iz0 jkT; tSfod izek.khdj.k laLFkk] jktdh; m|ku ifjlj dfj;lik jksM] vkyeckx] y[kuÅ ftldk ifrfuf/kRo funs'kd m0iz0 jkT; tSfod izek.khdj.k laLFkk }kjk fd;k tk jgk gS

rFkk

¼ykblsUlh dk uke o irk½

ds e/; fd;k x;k A

fuEufyf[kr ifjHkkf"kr gSaA

izLrkouk

*जैविक कृषि’ नाम का प्रयोग आवेदक द्वारा उ0प्र0 राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था के साथ किये गये अनुबन्ध पर आधारित है। जैविक प्रमाणीकरण संस्था इस बात की पर्याप्त गारन्टी देती है कि उपरोक्त संदर्भित फर्म योग्यता, कार्य कुशलता तथा स्वतंत्रता जैसा कि एन0एस0ओ0पी0 मानकों / इ0सी0 मानकों तथा एन0ओ0पी0 मानकों में वर्णित किया गया है के अनुरुप है। यह गारन्टी इस संस्था के एक्रीडिटेशन द्वारा स्थापित होती है। संस्था का एक्रीडिटेशन विधि सम्मत गठित एक्रीडिटेशन कमेटी द्वारा , आई0एस0ओ0 गाइड 65 के अनुरूप किया है।

vkfVZfdy 1 % mís'; dh ifjHkk"kk

आवेदक द्वारा उ0प्र0 राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था को जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण का दायित्व इस उद्देश्य से सौंपा है, कि उसे जैविक उत्पाद के विक्रय हेतु लाइसेंस तथा प्रासंगिक प्रमाण पत्र प्राप्त हो जांए । उ0प्र0 राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था आवेदक की एक पत्रावली तैयार करेगी और उसे संस्था की प्रमाणीकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

उ0 प्र0 राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था
U. P. State Organic Certification Agency
Government Garden Campus, Cariyappa Marg, Alambagh, Lucknow – 226005
Contacts – 0522-2451256 Fax No.-0522-245163 / +91-7991202027
Email id: - upsoca.org@gmail.com / Website: - upsoca.org

फाइल का गठन निम्नवत किया जायेगा।

1. उत्पादन स्थलों की वार्षिक भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट
2. सम्भावित औचक निरीक्षण रिपोर्ट
3. निरीक्षण के सारांश का संयोजन जिसमें नमूनों के विश्लेषण परिणाम सम्मिलित हैं

प्रमाणीकरण समिति द्वारा अनुमोदित किये जाने के पश्चात् अनुबन्ध के अन्तर्गत आवेदक को लाइसेंस जारी किया जायेगा।

vkfVfdy&2 'krsa

m0iz0 jkT; tSfod izek.khdj.k laLFkk fuEufyf[kr dk;Z djus ds fy, lgen gS

1. यदि प्रमाणीकरण प्रणाली में कोई बदलाव किया जाता है तो उसकी सूचना आवेदक को भेज दी जायेगी।
2. संस्था द्वारा वर्ष में एक बार निरीक्षण की व्यवस्था की जायेगी।
3. संस्था फर्म के मुख्यालय का भौतिक निरीक्षण तथा उत्पादन स्थलों का निरीक्षण वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य करेगी, जैसा कि प्रमाणीकरण फाइल को आगे बढाने के लिए आवश्यक है।
4. भौतिक निरीक्षण के 60 दिनों के अंदर प्रमाणीकरण कार्य पूरा कर दिया जायेगा।
5. संस्था व्यवसायिक गोपनीयता बनाये रखेगी अर्थात उत्पादक के संदर्भ में किसी अन्य को गोपनीय सूचना अथवा जानकारी प्रदान नहीं करेगी तथा फाइल के संदर्भ में भी जानकारी प्रदान नहीं करेगी ।
6. निरीक्षण का कार्य आवेदक अथवा उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में पूरा किया जायेगा।
7. प्रमाणीकरण स्वीकृत करने की दशा में आवेदक को प्रमाणीकरण दस्तावेज उपलब्ध करा दिये जायेगें।

vkosnd Lo;a dks fuEufyf[kr dk;Z djus ds fy, lgefr djrk gS

1. आपरेटर जैविक उत्पादन के सम्बन्ध में जैविक प्रमाणीकरण के मानकों का अनुसरण करेगा ।
2. आपरेटर केवल उतने ही उत्पाद पर प्रमाणित लेबल लगायेगा, जितने उत्पाद का प्रमाणीकरण , प्रमाणीकरण संस्था द्वारा स्वीकृत किया गया है।

उ0 प्र0 राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था
U. P. State Organic Certification Agency
Government Garden Campus, Cariyappa Marg, Alambagh, Lucknow ï 226005
Contacts ï 0522-2451256 Fax No.-0522-245163 / +91-7991202027
Email id: - upsoca.org@gmail.com / Website: - upsoca.org

3. आपरेटर जैविक प्रमाणीकरण संस्था द्वारा किये जाने वाले भौतिक निरीक्षण के दौरान तथा उत्पादन इकाईयों पर कार्य सम्पादित करने में सहयोग करेगा तथा नमूने आदि लेने में सहयोग करेगा , और रिकार्ड जैसे कि क्रय रिकार्ड, विक्रय का बिल, लेबल तथा पैकेटों की गिनती और प्रचार सम्बन्धी सामग्री, सामग्री की गणना तथा स्वास्थय अनुश्रवण संबंधी दस्तावेज उपलब्ध करायेगा ।

4. प्रमाणीकरण समिति की अपेक्षा पर आपरेटर एक या एक से अधिक अतिरिक्त निरीक्षणों के लिए सहमत होगा। यह निरीक्षण पहचान की गयी *नांन कानफारमीटिज* को आपरेटर द्वारा सही कर लिया गया हैं के लिए किया जाता है।

5. आपरेटर औचक निरीक्षणों को स्वीकार करेगा ।

6. यदि किसी प्रमाणित उत्पाद के बारे में आपरेटर से औपचारिक तौर पर किन्ही द्वारा भरपाई मांगी जाती है और उसे उसको देना है , उस दशा में आपरेटर रजिस्टर्ड मेल /भरपाई प्राप्ति रसीद सहित जैविक प्रमाणीकरण संस्था को सूचित करेगा।

7. औपचारिक तौर पर भरपाई के पश्चात आपरेटर द्वारा जितने सुधार सम्बन्धी कार्य किये गये है , और जिन तिथियों में किये गये हैं वह उसकी सूचना लिखित रूप से जैविक प्रमाणीकरण संस्था को देगा।

vkfVfdy &3 fo'y"k.k

1. जैविक प्रमाणीकरण संस्था द्वारा विश्लेषण हेतु नमूने आवेदक अथवा उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में लिए जायेगें , तथा सैम्पलिंग कार्ड पर आवेदक अथवा उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर होंगे। प्रतिनिधि नमूने से तीन नमूने बनाये जायेगें जिसमें एक नमूना आपरेटर के लिए , एक नमूना गार्ड सैम्पल के बतौर जैविक प्रमाणीकरण संस्था द्वारा रखा जायेगा और एक नमूना अधिकृत प्रयोगशाला में भेज दिया जायेगा। नमूनों को जैसे कि आवश्यकता हो उसके अनुरूप शीत दशाओं में रखा जायेगा।

2. किस प्रकार के विश्लेषण किये जायेगें ,का निर्धारण जैविक प्रमाणीकरण संस्था के निरीक्षक द्वारा किया जायेगा।

3. परीक्षणों की वास्तविक लागत आपरेटर द्वारा वहन की जायेगी ।

4. यदि आपरेटर विश्लेशण परिणामों से संतुष्ट नहीं है , उस दशा में गार्ड सैम्पल को आपरेटर के औपचारिक निवेदन पर पुनः विश्लेषण हेतु अन्य अधिकृत प्रयोग शाला में भेज दिया जायेगा। इस प्रकार जो परिणाम प्राप्त होगें उन्हें अंतिम समझा जायेगा।

vkfVfdy &4 tfod iek.khdj.k lLFkk dk Hkxrku

1. आपरेटर द्वारा निवेदन किये जाने पर जैविक प्रमाणीकरण संस्था उसे कुल अनुमानित लागत एवं भुगतान की शर्तें उपलब्ध करा देगी ।

2. आपरेटर द्वारा भुगतान हेतु सहमति व्यक्त करने के बाद जैविक प्रमाणीकरण संस्था अग्रेतर कार्यवाही करेगी ।

उ0 प्र0 राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था
U. P. State Organic Certification Agency
Government Garden Campus, Cariyappa Marg, Alambagh, Lucknow ï 226005
Contacts ï 0522-2451256 Fax No.-0522-245163 / +91-7991202027
Email id: - upsoca.org@gmail.com / Website: - upsoca.org

3. जैविक प्रमाणीकरण संस्था तथा आपरेटर के मध्य अनुबन्ध का नवीनीकरणः आपरेटर द्वारा मांगे जाने पर जैविक प्रमाणीकरण संस्था आपरेटर को अनुबन्ध के नवीनीकरण हेतु देय शुल्क से अवगत करा देगी , तथा आपरेटर की सहमति पश्चात अनुबन्ध का नवीनीकरण किया जायेगा ।

4. आपरेटर द्वारा भुगतान न करने की दशा में लाईसेंस निरस्त कर दिया जायेगा, दस्तावेज नहीं भेजे जायेगें तथा अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।

5. जैविक प्रमाणीकरण संस्था द्वारा मांगे जाने पर आपरेटर को सम्बन्धित दस्तावेज संस्था को वापस करने होंगे।

6. यदि व्यापार बंद आदि कारणों से आपरेटर द्वारा जैविक प्रमाणीकरण संस्था को निरीक्षण से पूर्व रजिस्टर्ड मेल द्वारा इस सम्बन्ध में सूचित कर दिया गया है , तथा जैविक प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया है, उस दशा में आपरेटर द्वारा निरीक्षण की अनुमानित लागत का 25 प्रतिशत जैविक प्रमाणीकरण संस्था को देय होगा।

vkfVfdy &5 tSfod iek.khdj.k lLFkk & uke dk lnfHkZr djuk @ ykxks dk mi;ksx djuk

1. आपरेटर सम्बन्धित वर्ष के लिए लाइसेंस दिये जाने के पश्चात ही जैविक प्रमाणीकरण संस्था को संदर्भित करने के लिए अधिकृत है ।

2. सभी दस्तावेज , लेबल, पैकेज जिन पर संस्था का नाम संदर्भित किया जाना है, उन पर संस्था का नाम संदर्भित करने से पूर्व संस्था का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

3. संस्था के नाम का किसी भी प्रकार से अनाधिकृत उपयोग /अथवा दुरूपयोग करने पर उससे होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति आपरेटर को करनी होगी।

4. जैविक प्रमाणीकरण संस्था के लोगों का प्रयोग भी उपरोक्तानुसार अधिकृत है।

vkfVfdy &6 ykblsl dh o/krk vof/k rFkk lR;kiu iek.ki=k dh o/krk

1. लाइसेंस जारी करने / अथवा नवीनीकरण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।

2. प्रमाणपत्र की वैधता अवधि उत्पाद के जीवन काल से है , जब तक कि जैविक प्रमाणीकरण संस्था द्वारा लाइसेंस को निरस्त न कर दिया जाये एवं लाइसेंस निरस्त करने की प्रभावी तिथि की घोषणा कर दी जाये ।

3. जैविक प्रमाणीकरण संस्था द्वारा निर्देशित किये जाने पर लाइसेंस धारक अपने ग्राहकों को जैविक प्रमाणीकरण संस्था द्वारा लाइसेंस निरस्त करने की प्रभावी तिथि की सूचना देगा तथा बाजार से संबंधित उत्पाद वापस लेगा एवं प्रमाणीकरण संबंधी जो भी दस्तावेज आदि होंगे , उन्हें प्रमाणीकरण संस्था को वापस कर देगा ।

4. यदि लाइसेंस /प्रमाणपत्र को निलम्बित किया जाता है, तो उस दशा में लाइसेंस धारी जैविक प्रमाणीकरण संस्था को प्रमाणीकरण संबंधी दस्तावेज वापस कर देगा ।

उ0 प्र0 राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था
U. P. State Organic Certification Agency
Government Garden Campus, Cariyappa Marg, Alambagh, Lucknow ï 226005
Contacts ï 0522-2451256 Fax No.-0522-245163 / +91-7991202027
Email id: - upsoca.org@gmail.com / Website: - upsoca.org

5. उपरोक्त वर्णित दायित्वों का निर्वहन न करने पर अथवा जैविक प्रमाणपत्र /लाइसेंस के दुरूपयोग करने पर क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी और संबंधित फाइल को जिस देश को उत्पाद भेजा गया है उस देश में भेज दिया जायेगा और आपरेटर के विरूद्व उस देश में मुकदमा दायर किया जायेगा।

vkfVfdy &7 vucU/k @uohuhdj.k @fujLr dju lEcU/kh 'kr

1. वर्तमान अनुबन्ध एक कलैण्डर वर्ष के लिए वैध है तथा अनुबन्ध का नवीनीकरण करने के पश्चात आगे की अवधि के लिए वैध होगा।

2. यदि दोनों पार्टियों में से कोई एक पार्टी वर्तमान अनुबन्ध का नवीनीकरण करना नहीं चाहती है तो वह दूसरी पार्टी को रजिस्टर्ड मेल प्राप्ति रसीद के द्वारा कम से कम वर्तमान अनुबन्ध की समाप्ति से 3 माह पहले सूचित कर देगी।

3. वर्तमान अनुबन्ध इससे पूर्व किये गये सभी अनुबन्धों को सुपरसीड करता है।

vkfVfdy & 8 nkf;Ro

1. जैविक प्रमाणीकरण संस्था का दायित्व सीमित है । जैविक प्रमाणीकरण संस्था का दायित्व ईमानदारी / बफादारी तथा तकनीकी क्षमता से कार्य सम्पादित करने का सबसे बढ़िया प्रयास संस्था द्वारा किया गया है, तक सीमित है।

2. इस अनुबन्ध का अनुपालन न किये जाने पर दूसरी पार्टी की क्षतिपूर्ति एपीडा द्वारा निर्धारित एक्रीडिटेशन नियमों के अन्तर्गत की जायेगी।

3. मुकदमें आदि ,यदि कोई हो ,हेतु न्यायालय का अधिकार क्षेत्र उत्तर प्रदेश ही रहेगा।

;g vucU/k m0i0 jkT; tfod iek.khdj.k lLFkk dk vf/kdr djrk g fd og fdlh vU; }kjk ekx tku ij og ml iekf.kr tfod mRikn d lEcU/k e lpuk miyC/k djk n A gk @ ugh

i<k rFkk orieku vucU/k dh if"V dh

आपरेटर के हस्ताक्षर

निदेशक
उ0प्र0 राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था

स्थान दिनांक

(यह अनुबन्ध दो प्रतियों में तैयार किया जायेगा)